यदि आप
रिटेल स्टाफ़
हैं तो टैक्स रिटर्न तैयार करते समय आप क्या-क्या क्लेम कर सकते हैं, यह जानना आपके हित में है

काम से संबंधित किसी ख़र्चे को क्लेम करने के लिए यह आवश्यक है कि:

- ख़र्चा आपने स्वयं किया है और आपको किसी व्यक्ति ने वह वापस नहीं किया है
- ख़र्चे का आपकी आय अर्जित करने से सीधा सम्बन्ध है
- आपके पास ख़र्चे का सबूत है।*

आप किसी भी ख़र्चे का काम से संबंधित हिस्सा ही क्लेम कर सकते हैं। आप किसी ख़र्चे के निजी इस्तेमाल से संबंधित किसी भी भाग के लिए कटौती क्लेम नहीं कर सकते।

* आप साल भर के लिए ए टी ओ एप्प के myDeductions टूल का इस्तेमाल करके अपने ख़र्चों और रसीदों की जानकारी रख सकते हैं।

कार सम्बन्धी ख़र्चे

✔ **आप** कटौती के लिए **क्लेम कर सकते हैं** यदि आप:

- एक दिन में नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं – जैसे कि वेटर की दूसरी नौकरी के लिए यात्रा करना
- एक दिन में एक नियोक्ता के लिए नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी चला कर जाते हैं – जैसे कि एक नियोक्ता के दो अलग स्टोरों में काम करने के लिए गाड़ी चला कर जाना।

✘ **आम तौर पर आप** काम पर जाने की यात्रा की कीमत **क्लेम नहीं कर सकते,** चाहे आप अपने रोज़मर्रा के काम के स्थान से बहुत दूर रहते हों या काम के सामान्य समय के बाहर काम करते हों - जैसे कि देर रात की शॉपिंग या सप्ताहांत की शिफ़्ट।

यदि आप कार संबंधी ख़र्चा क्लेम करते हैं तो आपको एक लॉगबुक रखनी होगी ताकि आप काम के लिए उसके इस्तेमाल के प्रतिशत की गणना कर सकें, या अगर अपने क्लेम के लिए आप सेंट प्रति किलोमीटर का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ए टी ओ को यह दिखाना होगा कि आपकी गणना युक्तिसंगत है।

क्लोदिंग (कपड़ों) का ख़र्चा

✔ **आप** ऐसी यूनिफ़ॉर्म को खरीदने, किराए पर लेने, उसकी मरम्मत करने और उसे साफ़ रखने के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं** जो अद्वितीय है और आपके काम के लिए विशिष्ट है, या जो क्लोदिंग आपकी सुरक्षा के लिए है, और जिसे आपका नियोक्ता आपको पहनने के लिए कहता है।

✘ **आप** काम पर पहने जाने वाले आम कपड़ों को खरीदने या उन्हें साफ़ करने के ख़र्चे के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते,** चाहे आपका नियोक्ता आपको उन्हें पहनने का आदेश देता है और आप उन कपड़ों को सिर्फ़ काम पर ही पहनते हैं, उदाहरण के लिए काली पतलून और सफ़ेद कमीज़ या रोज़मर्रा के कपड़े – चाहे वे उस स्टोर में बिकते हों जहाँ आप काम करते हैं।

खाने-पीने से संबंधित ख़र्चे

✔ **आप** ओवरटाइम मील (खाने-पीने) की क़ीमत के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं** यदि:

- आप ओवरटाइम काम करते हैं और उसके दौरान ओवरटाइम मील ब्रेक लेते हैं, और
- आपका नियोक्ता आपको किसी इंडस्ट्रियल क़ानून, अवार्ड या एग्रीमेंट के अंतर्गत ओवरटाइम मील अलाउंस देता है।

✘ एक आम काम के दिन में खाए गए भोजन की क़ीमत के लिए **आप** कटौती **क्लेम नहीं कर सकते,** क्योंकि यह एक निजी ख़र्चा है, चाहे आपका नियोक्ता आपको भोजन के ख़र्चे के लिए कोई अलाउंस भी देता हो।

आपकी पढ़ाई से संबंधित ख़र्चे

✔ यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपके वर्तमान काम से सीधे रूप से संबंधित है, उदाहरण के लिए कस्टमर सर्विस का कोर्स, तो **आप** उस कोर्स के ख़र्चों के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं।**

✘ यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपके वर्तमान काम से केवल सामान्य रूप से संबंधित है, या वह आपको नई नौकरी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए है तो **आप** उसके लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते,** उदाहरण के लिए हेल्थ एंड वेल-बीइंग का कोर्स।

बनने-सँवरने का ख़र्चा

✘ **आप** बालों की देख-रेख, प्रसाधन सामग्री, बालों और त्वचा की देख-रेख के प्रसाधनों के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते,** चाहे आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि आप उनका इस्तेमाल करें और वे आपके काम करने के स्टोर में बिकते हैं – यह आपका निजी ख़र्चा है।

अन्य आम कटौतियाँ

✔ यदि ख़र्चा आपके काम से संबंधित है तो **आप** निम्नलिखित चीज़ों की कीमत का काम से संबंधित हिस्सा कटौती के रूप में **क्लेम कर सकते हैं:**

- सेमिनार या कांफ्रेंस
- तकनीकी या आपके व्यवसाय के पब्लिकेशन
- यूनियन और प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन की फ़ीस
- यदि आपको काम के लिए लिए निजी साधनों का उपयोग करना पड़ता है तो फ़ोन और इंटरनेट के ख़र्चों का काम से संबंधित हिस्सा।

यह पूरी जानकारी का केवल सामान्य सारांश है।
अधिक जानकारी के लिए **ato.gov.au/occupations** पर जाएँ।

Australian Government
Australian Taxation Office
NAT 75022-05.2018 C127-00003a HIN